न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 39/2023

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2025

रामराज व अन्य

बनाम

रामा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थित

1— श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1

2— श्री एन0एस0 राजावत, वकील अप्रार्थी/वादीगण

आदेश

दिनांक—16.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.11.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में लिप्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा आराजियात है जिसका नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी में दर्ज किया जा चुका था। वादग्रस्त आराजियात पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज चला आ रहा है। आराजियात के मौके पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है एवं मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजियात बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित है। उनका कथन है कि मौका कमिश्नर नियुक्त होने के पश्चात प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के उपरान्त विवादित आराजियात बाबत उक्त प्रकरण के तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित व स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो सकेंगे एवं माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने में अत्यन्त सहायक होंगे। विवादित आराजियात बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के पश्चात ही उक्त वाद का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 को न्याय प्राप्त होगा एवं माननीय न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। अन्त में उन्होने अपने कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम माकड़वाली, तहसील अजमेर स्थित भूमि साबिक खसरा 2839 रकबा 04—07—00 बीघा किस्म बा0 2 एवं खसरा संख्या 2840 रकबा 02—18—00 बीघा किस्म बा0 2 जिसके क्रमशः वर्किंग खसरा संख्या 3146 रकबा 04—07—00 बीघा एवं खसरा संख्या 3147 रकबा 02—18—00 बीघा तथा क्रमशः वर्तमान खसरा संख्या 1837 रकबा 0.7000 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1838 रकबा 0.4700 हैक्टर कायम हुए हैं, के बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अप्रार्थीगण/वादीगण को दी गई किन्तु उन्होने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के तहत आदेश 39 नियम 7 जाब्ता दीवानी का उल्लेख किया है जो कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर लागू होता है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण निर्णय दिनांक 15.07.2025 से हो चुका है जिसमें आदेश पारित कर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया गया है। उक्त निर्णय के तहत माननीय न्यायालय द्वारा हक/अधिकार व आधिपत्य के सम्बन्ध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना उल्लेखित किया गया है। इस कारण हक/अधिकार व आधिपत्य के सम्बन्ध में उभयपक्ष दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद पत्र खातेदारी घोषणा के साथ विभाजन के अनुतोष हेतु प्रस्तुत हुआ है, जिसमें प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने की स्थिति में तहसीलदार अजमेर द्वारा विभाजन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जावेगा। इस कारण मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक नहीं है। उनका कथन है कि न्यायालय मौका रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी पक्षकार के हक में साक्ष्य एकत्रित किये जाने के लिये बाध्य नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RBJ 2012 पेज 545 एवं RBJ 2014 पेज 156 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा RBJ 2011 पेज 230 एवं RBJ 2012 पेज 376 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होने कथन किया कि उपरोक्त विधिक आधारों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम माकड़वाली, तहसील अजमेर स्थित वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा 2839 रकबा 04–07–00 बीघा किस्म बा0 2 एवं खसरा संख्या 2840 रकबा 02–18–00 बीघा किस्म बा0 2 जिसके क्रमशः वर्किंग खसरा संख्या 3146 रकबा 04–07–00 बीघा एवं खसरा संख्या 3147 रकबा 02–18–00 बीघा तथा क्रमशः वर्तमान खसरा संख्या 1837 रकबा 0.7000 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1838 रकबा 0.4700 हैक्टर पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया है किन्तु हम अप्रार्थीगण/वादीगण के इन कथनों से सहमत हैं कि न्यायालय मौका रिपोर्ट के माध्यम से किसी भी पक्षकार के हक में साक्ष्य एकत्रित किये जाने के लिये बाध्य नहीं है। न्यायालय द्वारा किसी एक पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य सृजन हेतु मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं है एवं ना ही कोई पक्षकार साक्ष्य संग्रहण हेतु न्यायालय का उपयोग कर सकता है। अपने कथनों व पक्ष को आवश्यक दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करने का दायित्व स्वयं पक्षकार का है। हम वकील अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रत्न कौर)
सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)
अजमेर

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर